

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु. 35880


जयपुर, दिनांक:- 18-05-2017

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान न्यायालय के निर्णय रिट पीटिशन नं. 4381 दिनांक 18.04.2017, 6263 दिनांक 01.05.2017, 6878 दिनांक 09.05.2017 की अनुपालना में निम्नलिखित अधिसूचित मार्गों पर लोक परिवहन सेवा परमिट धारकों के स्टैज कैरिज वाहनों के अनुज्ञापत्र में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 80 (3) प्रकारान्तर हेतु प्राप्त आवेदनों को निस्तारण किया जाना है, अन्य पात्र वाहन स्वामियों से भी इस विज्ञप्ति के जारी करने की तिथि से दिनांक 24.05.2017 तक प्रकाशान्तर हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम संख्या	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	वाहनों की संख्या	एकल फेरों की संख्या
1	90	तारानगर-भादरा वाया साहवा	3	6
2	460	फतेहपुर-झुञ्जुनू वाया ताजसर, परसीनसर, मण्डावा, वहीदपुर, लूनावास, हेमंतपुर, दुराना, आबूसर	4	4
3	267	रींगस-नीमकाथाना वाया मेहरोली, गुढा, श्रीमाधोपुर, खंडेलामोड़, कांवट, चला, सिरहोली	1	2
4	230	नीमकाथाना-खेतड़ी वाया मावण्डा, बबाई	2	2

आवेदन संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष, कार्यालय समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने संबंधित एवं अन्य सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू होंगी। शर्तों का अवलोकन विभागीय वेब साईट [transport.rajasthan.gov.in](http://transport.rajasthan.gov.in) पर RPTS Tab किया जा सकता है।

  
(आर.सी. यादव)


सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार

जयपुर, दिनांक:- 18/5/2017

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु. 35881-84  
प्रतिलिपि :-

1. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने बाबत।
2. सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार जयपुर/सीकर को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने बाबत।
3. मुख्यालय नोटिस बोर्ड।
4. रक्षित पत्रावली।



सचिव

SECRETARY  
राज्य परिवहन प्राधिकार  
STATE TRANSPORT AUTHORITY  
RAJASTHAN, JAIPUR